(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

प्रकरण संख्या : 65/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 01.10.2024 **निर्णय दिनांक : 16.12.2024**

1. प्रेम देवी पुत्री श्रीराम
2. पांची देवी पुत्री श्रीराम
   समस्त जाति गुर्जर निवासी पवाला राजपूत तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0।
2. ग्राम पंचायत कल्याणपुरा कलां जरिये सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत कल्याणपुरा कलां तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड़।
3. तहसीलदार कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड़।
4. रोहिताश
5. सुखीराम पुत्रान श्रीराम
6. लीला देवी
7. कोयली देवी
8. धापली पुत्रीयान श्रीराम
9. उर्मिला देवी पत्नी शीशराम
   समस्त जाति गुर्जर निवासी पवाला राजपूत तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0।

– अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के समक्ष उनवानी वाद प्रेम देवी बनाम ग्राम पंचायत कल्याणपुरा कलां वगै0 मुकदमा नम्बर 18/2022 को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री मुकेश गुर्जर एड. – प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री सुधीर शर्मा एड. – अप्रार्थी संख्या 09 की ओर से।

निर्णय

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के समक्ष प्रकरण संख्या 18/2022 उनवानी प्रकरण प्रेम देवी बनाम ग्राम पंचायत कल्याणपुरा कलां विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 09 ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया जिसपर विधिवत सुना जाकर दिनांक 05.11.2024 को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 09 को पक्षकार बनाया जाने के आदेश पारित किया गया। अप्रार्थी संख्या 09 की ओर से उनके अधिवक्ता ने जवाब पेश कर बहस करने का निवेदन किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त उनवानी प्रकरण में रेस्पोडेन्ट एक बाहुबल व धनबल से युक्त है एवं उनके द्वारा ऐसी एलानिया धमकी दी गयी है कि उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली से उनकी सांठ–गांठ हो गयी है, अब हम वक्त प्रकरण में हमारे पक्ष में फैसला करवायेंगे। रेस्पोडेन्ट राजनैतिक पहूंच वाला आदमी है, जिससे प्रार्थीगण को इस एलानिया घोषणा होने के कारण एवं पीठासीन अधिकारी को अपने प्रभाव में लेने के कारण उक्त प्रकरण में न्याय की कोई उम्मीद नही होने की वजह से जिले के अन्यत्र न्यायालय में स्थानांतरित करने का निवेदन किया।

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

5. अप्रार्थी संख्या 09 ने अपनी बहस में प्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये अपने जवाब में उल्लेखित तथ्यों को जाहिर करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया द्वारा मंगढनत एवं झूठे तथ्य पेश किये है। प्रार्थिया द्वारा प्रकरण में एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त कर प्रकरण में अनावश्यक देरी करने की मंशा से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे खारिज किया जावें। अप्रार्थी संख्या 09 ने अपनी बहस में जाहिर किया कि प्रकरण में विचाराधीन आराजी के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण 19/2022 उर्मिला देवी बनाम ग्राम पचायत का निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनाक 22.07.2024 के द्वारा किया गया था एवं उपरोक्त निर्णय की अनुपालना को रूकवाने के लिये प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर श्रीमान के समक्ष उपरोक्त प्रकरण प्रस्तुत किया है। प्रकरण में विचाराधीन आराजी के खातेदार सुखीराम पुत्रान श्रीराम ने अपना संपूर्ण हिस्सा जरिये रजिस्ट्री विकय पत्र 24.08.2022 को अप्रार्थी उर्मिला देवी को बेचान कर दिया था परन्तु प्रार्थीगण जो कि रोहिताश वगैरहा विकेतागण के वारिस है ने जानबूझकर अप्रार्थीया द्वारा खरीदशुदा भूमि को खुर्द बुर्द करने की नीयत से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बिना अप्रार्थीया को पक्षकार बनाये अपील प्रस्तुत कर इकरतफा स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है जिसमें अप्रार्थीया ने पक्षकार बनाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण में पक्षकार बनने के उपरांत अपना पक्ष प्रस्तुत किया है एवं प्रार्थीया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से अप्रार्थी की अनुपस्थिति में विधि विरूद्ध जाकर लिये गये आदेश पर बहस करने की बजाय श्रीमान के समक्ष उपरोक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को जाहिर करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट अप्रार्थी संख्या 03 व 04 के द्वारा अप्रार्थी को बेचान किये जाने के उपरांत कोई हित शेष नही रहते है एवं प्रार्थी ने बिना अप्रार्थी को पक्षकार बनाये उपरोक्त प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। इससे स्पष्ट जाहिर है कि प्रार्थी जानबूझकर वास्तविकता के विपरीत न्यायालय श्रीमान के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अंत में वकील अप्रार्थी संख्या 09 ने जाहिर किया कि प्रार्थीयागण ने महज अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दीगर प्रकरण 19/2022 उर्मिला देवी बनाम ग्राम पंचायत कल्याणपुरा में पारित निर्णय दिनांक 22.07.2024 की अनुपालना को रूकवाने के लिये गये इकतरफा स्थगन आदेश के कारण उपरोक्त मुंतकिल प्रार्थना पत्र बिना अप्रार्थी को पक्षकार बनाये बिना प्रस्तुत किया गया है। जिसे खारिज करने का निवेदन किया।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में पेश दस्तावेजो का ध्यानपुर्वक अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली को भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 16.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
I.A.S
जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़